रा-वाद 28/20

भंवरसिंह V/S गजेन्द्रसिंह

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
04/8/21	वकील उभय P/D प्रस्ताव प्राप्त होकर आ०कि है। P/D प्रस्ताव वकील के पढ़कर सुनाया गया जिसे वकील ने सही होना स्वीकार किया तथा माफिक P/D प्रस्ताव वाद को अंतिम डिक्री किए जाने का निवेदन किया। चूंकि वकील ने P/D प्रस्ताव अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किए जाने में सहमति व्यक्त की है। अतः वाद वादीगण माफिक P/D रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शा०कि है। मिसल अपने नम्बर से जमा होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	(हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल.	

Scanned with CamScanner

कार्यालय तहसीलदार (भू० अ०) जायल

×××

क्रमांक/भू०अ०/2021/2864 दिनांक 30-7-2021

प्रेषित :- श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महो०
जायल

विषय :- प्राथमिक डिक्री की मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव भेजने बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके पत्रांक / दिनांक 372/29-06-2021 के अनुसरण में राजस्व वाद संख्या 20/2020 में जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, कार्यालय में जमा हो जाने से इस पत्र के संलग्न मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में आगामी उचित कार्यवाही बाबत् श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न :- रा० वा० सं० 20/2020 में जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में ।

तहसीलदार (भू०अ०)
जायल

26-7-21

मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव

श्री अमीलाल मीणा (नाय) तहसीलदार जायल न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्डअधिकारी जायल के आदेश क्रमांक : रीडर / कोर्ट / 2021 / 372 दिनांक 29-06-2021 एवं तहसीलदार जायल आदेश क्रमांक / (भू.अ.) प्रायमिक रीडर / 2021 / 2416 दि 8-7-21 न्यायालय के भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 19-07-21 समय 11:00 बजे आराजी कि० 372, 424 वाके ग्राम गोगड़ पर मय श्री परसाराम मेहरा भू-अभिलेख निरीक्षक, गोपाल कृष्ण पटवारी हल्का रोटू के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्डअधिकारी जायल में विचाराधीन प्रकरण केस 28/2020 समस्त पक्षकारो को तहसील कार्यालय जायल नोटिस दिनांक 15-07-2021 द्वारा जारी किये गये थे। जिनकी तामील विधिवत रूप से करवाई गई। समस्त पक्षकारो में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी / प्रतिवादी
1	भंवरसिंह	S/o गणपतसिंह	75	राजपूत	वादी
	किशनसिंह	S/o गणपतसिंह	70	राजपूत	वादी
	पृथ्वीसिंह	S/o गणपतसिंह	60	राजपूत	वादी
	जगदीशकंवर	W/o नूनसिंह	50	राजपूत	वादी
	आसुसिंह	S/o गणपतसिंह	55	राजपूत	वादी
	नरेन्द्रसिंह	S/o नूनसिंह	27	राजपूत	प्रतिवादी

उपर्युक्त पक्षकार की उपस्थिति में आपसी कामुताबिक मौका निरीक्षण एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 व 21 के अनुसार निम्न प्रकार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया।

क्र.सं.	नाम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	दिशा
1	भंवरसिंह S/o गणपतसिंह कौम राजपूत साकिन	424	2.4969	बा० 5	उत्तरीपूर्वी
2	किशनसिंह S/o गणपतसिंह कौम राजपूत साकिन	372	2.4362	बा० 2	पूर्वी हिस्सा
3	पृथ्वीसिंह S/o गणपतसिंह कौम राजपूत साकिन	424	2.4970	बा० 5	दक्षिणी हिस्सा
4	आसुसिंह S/o गणपतसिंह कौम राजपूत साकिन	372	2.4362	बा० 2	पश्चिमी हिस्सा
5.	जगदीशकंवर पत्नी नूनसिंह राजेन्द्रसिंह पुत्र नूनसिंह, मंजूकंवर पुत्री नूनसिंह नरेन्द्रसिंह पुत्र नूनसिंह कौम राजपूत साकिन	424	2.5009	बा० 5	उत्तरीपश्चिमी

P.T.O.

नजरी नक्शा

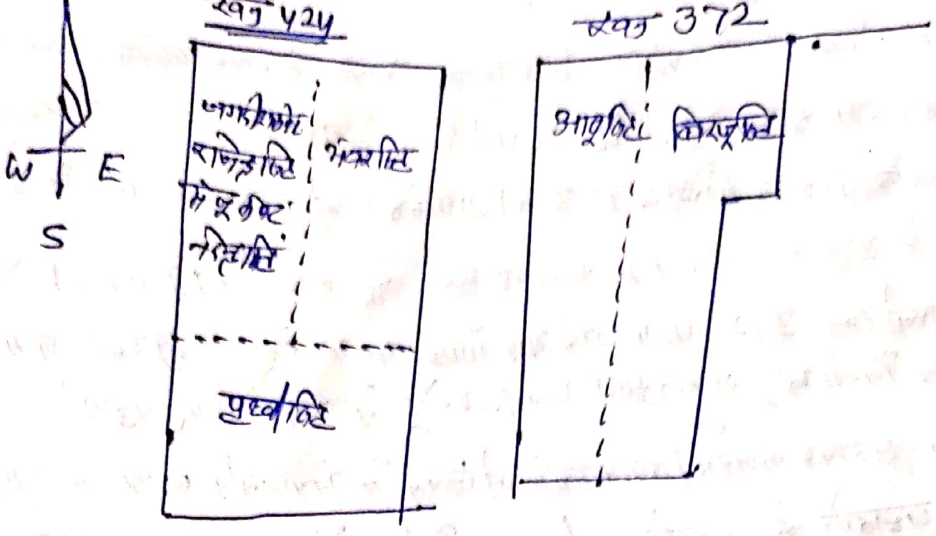

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरान को पढ़कर सुनवाया गया मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़कर एवं समझकर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये

S.No	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/प्रतिवादी
1	भंवरसिंह	गणपतसिंह	राजपूत	भंवरसिंह	वादी
2	किस्तूरसिंह	गणपतसिंह	राजपूत	अं. किस्तूरसिंह	वादी
3.	पृथ्वीसिंह	गणपतसिंह	राजपूत	अं. पृथ्वीसिंह	वादी
4.	जगदीशकंवर प/ पूनमसिंह		राजपूत	अं. जगदीशसिंह	वादी
5.	आसूसिंह	गणपतसिंह	राजपूत	आसूसिंह	वादी
6.	नरेन्द्रसिंह	पूनमसिंह	राजपूत	नरेन्द्र सिंह	प्रतिवादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़कर समझकर हस्ताक्षर करने से इंकार किया

S.No	नाम	पिता का नाम	जाति	वादी/प्रतिवादी

MR

Scanned with CamScanner

मौके पर अन्य मौतबिरान को उक्त बिन्दुवार प्रत्यक्ष जरिए पूछताछ गौर निम्नानुसार हस्ताक्षर करवाये गये।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/मो.नं.
1	सुरजदास S/	कानूदास	74	कापड़	सुरजदास
2.	नारायणराम S/	दयालराम	62	मेघवाल	नारायणराम

इसप्रकार आज दिनांक -19-07-2021 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

Gopal
गोपालकृष्ण
पटवारी ...
19-07-2021

पीमाराम
ILR दुर्गानी
19-07-2021

तहसीलदार जायल
तहसीलदार (भू०अ०)
जायल

राजस्व वाद संख्या 28/2020
भंवरसिंह वगैरह बनाम् राजेन्द्रसिंह वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :28 / 2020

वादीगण–

1. भवंरसिंह
2. बिरजू सिंह
3. पृथ्वीसिंह
4. आसुसिंह पुत्रगण गणपत सिहं
5. जगदीश कंवर पत्नी नूनसिंह
   जातियान– राजपूत निवासीगण–गौराउ तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र नूनसिंह
2. मंजू कंवर पुत्री नूनसिंह
3. नरेन्द्रसिंह पुत्र नूनसिंह
4. रतन कंवर पत्नी गणपतसिंह
5. भंवर कंवर पुत्री गणपतसिंह
6. सोहनी पुत्री गणपतसिंह समस्त जातियान राजपूत निवासी गौराउ
7. प्रहलाद सिंह पुत्र गणपतसिंह दत्तक पुत्र लादूसिंह
   जाति राजपूत निवासी लेड़ी तहसील लाडनूं , नागौर
8. तहसीलदार जायल

सहायक कलक्टर * (एस.डी.ओ.) जायल *

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 7
3. प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 04/8/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगणएवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा गौराउ तहसील जायल में खेत खसरा नं. 372 रकबा 30.02 बीघा, खसरा नं. 424 रकबा 46.06 बीघा रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत 2075 को वाद पत्र के पैरा संख्या 4 (क व ड़) व पैरा संख्या 5 के अनुसार आखातीज को कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जो निम्न प्रकार से है। वादी भवंरसिंह के हक बंट में

04/8/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

मौजा गौराउ के खेत खसरा नबर 424 रकबा 46.06 बीघा में से 15.08 बीघा उत्तरी पूर्वी नजरी नक्शानुसार रखा गया है। वादी संख्या 2 बिरजूसिंह के हक बंट में मौजा गौराउ के खेत खसरा नबर 372 रकबा 30.02 बीघा में से 15.01 बीघा पूर्वी तरफ नजरी नक्शानुसार रखा गया है। वादी पृथ्वीसिंह के हक बंट में मौजा गौराउ के खेत खसरा नबर 424 रकबा 46.06 बीघा में से 15.08 बीघा दक्षिणी भाग नजरी नक्शानुसार रखा गया है। वादी संख्या 4 आसुसिंह के हक बंट में मौजा गौराउ के खेत खसरा नबर 372 रकबा 30.02 बीघा में से 15.01 बीघा पश्चिमी भाग नजरी नक्शानुसार रखा गया है। वादी संख्या 5 जगदीश कंवर व प्रतिवादीसंख्या 1 से 3 राजेन्द्र सिंह,मंजु कंवर, नरेन्द्र सिंह के सामलाती हक बंट में मौजा गौराउ का खेत खसरा नंबर 424 रकबा 46.06 बीघा में से 15.09बीघा उतरी पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है। प्रतिवादी संख्या 6 के अत्यधिक वृद्व होने , प्रतिवादी संख्या 5 से 6 को भूमि की अवैज में नगद देने से भूमि भाईयों के पक्ष में छोड़ दी है तथा प्रतिवादी संख्या 7 लादूसिंह के गोद जाने से मुतदाविया भूमि में से कोई बंट नहीं रखा गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 ने दिनांक 06.07.2020 को उपस्थित न्यायालय होकर ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की पहचान अधिवक्ता श्री जीयाराम गोदारा ने की। ईकबाली जबाब बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 8 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 8 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह आसुसिंह, बिरजुसिंह, पृथ्वीसिंह पुत्रगण गणपतसिंह के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम गौराउ तहसील–जायल सम्वत् 2068–2071 खाता संख्या 71 प्रदर्श–1 नकल, उतराधिकारी प्रमाण पत्र , मृत्यू प्रमाण पत्र गणपतसिंह पेश किये गए । अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामावाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादपत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामावाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 06.07.2020 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 06.07.2020 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा गौराउ के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 372 व 424 की भूमि का माफिक ईकबाली जबाब अनुसार बंट चाहा है जो पूर्णरूपेण विभाजन नहीं है।अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 372 व 424 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 15.06.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 15.06.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2864 दिनांक 30.07.2021 को प्राप्त हुआ, जिस पर वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादीगण व प्रतिवादी भंवरसिंह,विरजूसिंह,पृथ्वीसिंह,जगदीश कंवर,आसूसिंह,नरेन्द्रसिंह ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि अन्य मौतबिरान व्यक्ति सुखदास पुत्र आसुदास, नारायणदास पुत्र दयालराम के हस्ताक्षर से भी होती है। प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र रोजगार हेतु बाहर व प्रतिवादी संख्या 2 व 4 से 6 अपने ससुराल में रहती है तथा प्रतिवादी संख्या 7 प्रहलादराम पुत्र गणपतसिंह ग्राम लेडी लाडनूं में रहता हैं

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

बावजूद सूचना मौके पर अनुपस्थित रहें। बंटवारा प्रस्ताव में प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के हकबंट व खातेदारी में मुतदाविया खेतायों की भूमि में हिस्सा नही रखा है, जिससे मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है। अतः हम प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के हक हिस्से की भूमिका नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कराया जाना न्यायसंगत हैं इसलिये हम वादीगण का वाद स्वीकार कर मौजा गौराउ तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरानं. 424,372 वादीगण एवं प्रतिवादीगण को सहखातेदार घोषित किया जाना तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 को विवादग्रस्त खेताय 424,372 में सहखातेदार घोषित करते हुवे एवं तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 2864 दिनांक 30.07.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी भवंरसिंह के हक बंट में मौजा गौराउ के खेत खसरा नबर 424 रकबा 7.4948 हैक्टेयर में से 2.4969 हैक्टेयर उत्तरी पूर्वी नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 बिरजूसिंह के हक बंट में मौजा गौराउ के खेत खसरा नबर 372 रकबा 4.8724 हैक्टेयर में से 2.4362 हैक्टेयर पूर्वी तरफ नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
3. वादी पृथ्वीसिंह के हक बंट में मौजा गौराउ के खेत खसरा नबर 424 रकबा 7.4948 हैक्टेयर में से 2.4970 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
4. वादी संख्या 4 आसुसिंह के हक बंट में मौजा गौराउ के खेत खसरा नबर 372 रकबा 4.8724 हैक्टेयर में से 2.4362 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
5. वादी संख्या 5 जगदीश कंवर व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 राजेन्द्र सिंह,मंजु कंवर, नरेन्द्र सिंह के सामलाती हक बंट में मौजा गौराउ का खेत खसरा नंबर 424 रकबा 7.4948 हैक्टेयर में से 2.5009 हैक्टेयर उत्तरी पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है। प्रतिवादी संख्या 6 के अत्यधिक वृद्व होने , प्रतिवादी संख्या 5 से 6 को भूमि की अवैज में नगद देने से भूमि भाईयों के पक्ष में छोड़ दी है तथा प्रतिवादी संख्या 7 लादूसिंह के गोद जाने से मुतदाविया भूमि में से कोई बंट नहीं रखा गया है। अतः प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के हक हिस्से की भूमिका नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कराने पर मौजा गौराउ तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरानं. 424,372 के संबंध में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 04/8/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

04/8/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,जायल

सहायक कलक्टर (उ.प्र.अ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद संख्या 28/2020
भंवरसिंह वगैरह बनाम् राजेन्द्रसिंह वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 28/2020

वादीगण–

1. भवंरसिंह
2. बिरजू सिंह
3. पृथ्वीसिंह
4. आसुसिंह पुत्रगण गणपत सिहं
5. जगदीश कंवर पत्नी नूनसिंह

जातियान– राजपूत निवासीगण–गैराउ तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र नून सिंह
2. मंजू कंवर पुत्री नून सिंह
3. नरेन्द्रसिंह पुत्र नूनसिंह
4. रतन कंवर पत्नी गणपतसिंह
5. भंवर कंवर पुत्री गणपतसिंह
6. सोहनी पुत्री गणपतसिंह समस्त जातियान राजपूत निवासी गौराउ
7. प्रहलाद सिंह पुत्र गणपतसिंह दत्तक पुत्र लादूसिंह
   जाति राजपूत निवासी लेड़ी तहसील लाडनूं , नागौर
8. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 7
3. प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 7 हाजरी श्री जीयाराम गोदारा व प्रतिवादी संख्या 8 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 को विवादग्रस्त खेताय 424,372 में सहखातेदार घोषित करते हुवे एवं तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 2864 दिनांक 30.07.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

04/8/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद संख्या 28 2020

भंवरसिंह वगेरह बनाम् राजेन्द्रसिंह वगैरह

1. वादी भवंरसिंह के हक बंट में मौजा गौराउ के खेत खसरा नबर 424 रकबा 7.4948 हैक्टेयर में से 2.4969 हैक्टेयर उत्तरी पूर्वी नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 बिरजूसिंह के हक बंट में मौजा गौराउ के खेत खसरा नबर 372 रकबा 4.8724 हैक्टेयर में से 2.4362 हैक्टेयर पूर्वी तरफ नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
3. वादी पृथ्वीसिंह के हक बंट में मौजा गौराउ के खेत खसरा नबर 424 रकबा 7.4948 हैक्टेयर में से 2.4970 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
4. वादी संख्या 4 आसुसिंह के हक बंट में मौजा गौराउ के खेत खसरा नबर 372 रकबा 4.8724 हैक्टेयर में से 2.4362 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
5. वादी संख्या 5 जगदीश कंवर व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 राजेन्द्र सिंह,मंजु कंवर, नरेन्द्र सिंह के सामलाती हक बंट में मौजा गौराउ का खेत खसरा नंबर 424 रकबा 7.4948 हैक्टेयर में से 2.5009 हैक्टेयर उत्तरी पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है। प्रतिवादी संख्या 6 के अत्यधिक वृद्व होने , प्रतिवादी संख्या 5 से 6 को भूमि की अवैज में नगद देने से भूमि भाईयों के पक्ष में छोड़ दी है तथा प्रतिवादी संख्या 7 लादूसिंह के गोद जाने से मुतदाविया भूमि में से कोई बंट नहीं रखा गया है। अतः प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के हक हिस्से की भूमिका नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कराने पर मौजा गौराउ तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरानं. 424,372 के संबंध में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

04/8/2021

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज — मुबलिग — बाबत् —खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....04/8/2021...... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बावत इजराज़ हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

04/8/2021

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner